न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29/2015 नामान्तरकरण अपील

1. नाथू पुत्र गोपी जाति मीना निवासी आभानेरी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. नैना पुत्री शंकर पत्नी सीताराम जाति मीना निवासी आभानेरी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 22.10.2014
तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

उपस्थिति : पं0 रामबाबू शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री देवीसिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पो0 नं0 1 उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 16.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 50 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 154 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 177 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम आभानेरी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि का पूर्व में खातेदार मौरूसी आला कालू था। कालू के तीन लड़के हुए जगन्नाथ, शंकर, गोपी जिसमें जगन्नाथ उसके जीवनकाल में कुंवारा ही नाऔलाद फौत हो गया। शंकर के एक मात्र लड़की नैना हुई तथा गोपी के अपीलांट नाथू हुआ। इस प्रकार आराजीयात में 1/3 हिस्सा जगन्नाथ का 1/3 हिस्सा शंकर का और 1/3 हिस्सा गोपी का रहा है। चूकि जगन्नाथ ने अपने जीते जी कल्याण को गोदवत रख लिया था। शंकर ने अपने वंश को आगे चलाने के लिये अपने भाई गोपी के लड़के अपीलांट को अपना पुत्रवत मानकर आम समाज बिरादरी में अपना वारिस मान लिया था। शंकर की मृत्यु के पश्चात उसका नुक्ता नेवला भी अपीलांट नाथू ने ही किया था। अपीलांट मृतक खातेदारी शंकर का गोदग्रहिता पुत्र है। चूकि शंकर ने अपने जीवनकाल में नाथू को ही अपना पुत्र मानकार सारे कार्य सम्पन्न किए थे तथा शुरू से ही शंकर के हिस्सा 1/3 की जमीन पर नाथ काबिज काश्त है। उक्त भूमि में शंकर के हिस्सा 1/3 के बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर रामगढ पचवारा के समक्ष बउनवानी प्रकरण नाथू बनाम कल्याण वाद उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है, जो जैरकार है। इसी आराजीयात बाबत एक वाद उनवानी कल्याण बनाम नाथू न्यायालय ए0सी0एम0 रामगढ पचवारा के समक्ष दिनांक 21.10.14 को प्रस्तुत हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित फरमा दी थी।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा इसी आराजीयात का रिकार्ड तब्दील कर नामान्तरकरण सं. 333 गलत रूप से दिनांक 22.10.14 को तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 333 एवम आराजीयात एक दूसरे के पूरक है। जहां किसी न्यायालय के समक्ष हक का वाद जैरकार है वहीं वाद के विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार रामगढ पचवारा को नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करना चाहिये था। प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन रहते हुए की गई है। तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा स्थगन आदेश व अधिघोषणा का वाद जैरकार रहते हुए प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 333 तस्दीक किया है उसे निरस्त फरमावे। बतौर नजीर आरआरटी 20092 पेज 1225 एवं आरआरटी 2011(2) पेज 1264 पेश की गई।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 नैना प्रकरण में खातेदार शंकर की एक मात्र वारिस है। प्रश्नगत नामान्तरकरण सही है। अपीलांट नाथू खातेदार गोपी का पुत्र है। अपीलांट द्वारा शंकर के दत्तक जाने बाबत साक्ष्य पेश नहीं किये है तथा दावा सिविल न्यायालय में पेश किया गया था वह भी खारिज हो चुका है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 333 दिनांक 22.10.2014 का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि खातेदार शंकर पुत्र कालू हिस्सा 1/3 की विरासत का नामान्तरकरण उसकी पुत्री रेस्पोडेट सं0 1 के नाम तस्दीक किया गया है। प्रकरण के संदर्भ में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा निर्णय दिनांक 1.12.2017 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। जिसके द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं को मृतक खातेदार शंकर के विधिपूर्वक वारिस होने सम्बन्धित दस्तावेजात भी प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नही पाये जाने से अपील स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण सं. 333 दिनांक 22.10.2014 ग्राम आभानेरी तहसील रामगढ पचवारा के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा